भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या - 979 उत्तर देने की तारीख - 31/07/2024 निजी विद्यालयों द्वारा वसूली गई फीस

979 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) निजी विद्यालयों द्वारा फीस में मनमानी वृद्धि तथा अन्य अनियमितताओं के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्यालयों तथा अन्य हितधारकों की शोषणकारी चालबाजियों से विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए कोई नया कानून लाने अथवा नियम बनाने की कोई योजना है; और
- (ग) क्या सरकार द्वारा विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण हेतु कोई तंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, यदि हां, तो अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी)

- (क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्तपोषित स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, निजी स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली फीस और उससे संबंधित मुद्दों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। सीबीएसई संबद्धता उप-नियम 2018 में यह प्रावधान भी है कि स्कूलों में शुल्क संशोधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कानूनों और नियमों के अधीन होगा। उपनियमों के अनुसार, किसी भी शुल्क संशोधन के लिए स्कूल प्रबंधन समिति से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।
- (ख) और (ग): चूंकि निजी स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली फीस से संबंधित विनियमन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए नियम/विनियम बनाना तथा उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) में कमजोर वर्गों और लाभ वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों का आरक्षण और ऐसे बच्चों को शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 स्पष्ट रूप से किसी भी कैपिटेशन शुल्क के संग्रह को प्रतिबंधित करती है।
